न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 43/2018 दिनांकः– 09.08.2018

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. बालकिशन पुत्र मूल्या
2. हरिराम पुत्र परत्या
   जाति बैरवा निवासी मातासूला तहसील टोडाभीम (सायलान)

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र लल्लू
2. रामअवतार उर्फ छोट्या पुत्र लल्लू
3. कैलाश पुत्र लल्लू
4. मुलायमसिंह पुत्र हरपाल
5. रिंकू पुत्र हरपाल
   जाति बैरवा निवासी मातासूला तहसील टोडाभीम।
6. कमलेश पत्नि ललित पुत्री हरपाल जाति बैरवा हाल निवासी गोपालगढ तहसील बसवा जिला दौसा।
7. पिंकी पत्नि मगन पुत्री हरपाल जाति बैरवा हाल निवासी भॉवरा तहसील नादौती जिला करौली।
8. रौजन्ति पत्नि हरपाल निवासी मातासूला तहसील टोडाभीम।
9. सुखबाई पत्नि सुरेश पुत्री लल्लू जाति बैरवा निवासी रामगढ तहसील महवा जिला दौसा।
10. सीमा पत्नि महेन्द्र पुत्री लल्लू जाति बैरवा निवासी रामगढ तहसील महवा जिला दौसा।
11. कैलाशी पुत्री लल्लू पत्नि रामलाल जाति बैरवा हाल निवासी उॅकेरी तहसील मण्डावर जिला दौसा।
12. शांति पुत्री रामप्रसाद पुत्री लल्लू जाति बैरवा हाल निवासी भूडा तहसील मण्डावर जिला दौसा।
13. दुलारी पुत्री लल्लू पत्नि हजारी जाति बैरवा हाल निवासी खेडा मंगल सिह तहसील राजगढ जिला अलवर।
14. मूली पत्नि लल्लू जाति बैरवा निवासी मातासूला तहसील टोडाभीम।
15. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
16. उप पंजीयक टोडाभीम जिला करौली।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट (सायल)
श्री विजय भारती एडवोकेट (गैरसायल 1 ता 14)

उनवान

1. मांगीलाल पुत्र लल्लूराम
2. छोटा पुत्र लल्लूराम
3. कैलाश पुत्र लल्लूराम

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

4. मुलायम सिंह पुत्र हरपाल पुत्र लल्लू
5. रिंकू पुत्र हरपाल पुत्र लल्लू
6. कमलेश पुत्री हरपाल
7. पिकी पुत्री हरपाल
8. शांति पुत्री लल्लू
9. कैलाशी पुत्री लल्लू
10. सुखबाई पुत्री लल्लू
11. सीमा पुत्री लल्लू
12. दुलारी पुत्री लल्लू

जाति बैरवा निवासीयान मातासूला तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(सायलान)

बनाम

1. बालकिशन पुत्र मूल्या
2. जगदीश पुत्र बालकिशन
3. प्रभू पुत्र बालकिशन
4. जयसिंह पुत्र बालकिशन
5. राजेन्द्र पुत्र जगदीश
6. रमेश पुत्र जगदीश
7. लखन पुत्र हरी
8. रामकुवार पुत्र हरी
9. जलबाई पत्नि हरी
10. सुमधा पत्नि जगदीश
11. रामकला पत्नि प्रभू

जाति बैरवा निवासीयान मातासूला तहसील टोडाभीम जिला करौली

(गैरसायलान)

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री विजयभारती एडवोकेट (सायलान)

श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट (गैरसायलान 1 ता 4 व 7 ता 11)

निर्णय दिनांकः– 20.02.2020

दोनो प्रकरणो मे समान पक्षकार व समान आराजीयात होने से एक साथ निर्णय किया जा रहा है।

दिनांकः– 09.08.2018

मु0न0 43/2018

सायलान द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पेश किया है कि जमाबन्दी सम्वत 2072–75 ग्राम मातासूला की आराजी ख0न0 1184/0.23, 1185/0.01, 1186/0.21, 1187/0.19, 1188/0.20, कुल किता 5 कुल रकवा 0.84 है0 मे गैरसायल न0 1 ता 14 के नाम दर्ज है। उक्त वर्णित आराजीयात मे सायलान व गैरसायलान न0 1 ता 14 एक ही बुजुर्ग लोहडया की संतान है व हरदेव, मूल्या व चंदा ने वर्णित आराजीयात अपने पिता लोहडया के जीवनकाल मे ही हिस्सा 1/3–1/3 बराबर बाट लिया था। हरदेव, मूल्या व चंदा खास भाई थे। उसी समय अपने– अपने हिस्से पर काबिज हो गये तथा हरदेव, मूल्या जो सायलान के

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

बुजुर्ग थे उन्होने अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा लेकर रिहायश कर ली थी। उसके बाद हरदेव व मूल्या के जो वारिसान है आज तक रिहायश पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। जिसकी पुष्टि खसरा गिरदावरी सम्वत 2018–19 से होती है वर्णित आराजीयात के संबध मे गैरसायल 1 ता 14 के बुजुर्ग लल्लू जो खातेदार था, उसने दिनांक 27.1.2015 को 100/– के स्टाम्प पर इकरारनामा इस आशय का सायल न0 1 को लिख दिया कि मेरे नाम मातासूला मे 3 बीधा जमीन हे। जो मुझे मेरे पिता चन्दा से मिली है। उक्त आराजी के 1/3 हिस्से पर सायल न0 1 काबिज एवं दखील है उक्त 1/3 हिस्से की आराजी से मेरा कोई संबध नही रहेगा तथा हमेशा सायल न0 1 की रहेगी। इकरारनामा के मद न0 4 मे अंकित किया है कि मुझ प्रथम पक्ष द्वारा आराजी पर ऋण ले रखा है जब भी भूमि ऋण मुक्त होगी तब रजिस्ट्री करवा दूंगा। इस इकरारामे पर पूर्व खातेदार लल्लू के हस्ताक्षर है जिसकी पहचान श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने की है। जिसे श्री मनोज कुमार शर्मा नोटेरी पब्लिक द्वारा इकरारनामा को प्रमाणित किया है। इस प्रकार सायलान अपने हिस्से की आराजी पर विगत कई वर्षो से काबिज होकर रिहायश व काश्त कर रहे है। जो आज तक बदस्तूर है इस प्रकार सायलान को उक्त आराजी के संबध मे लोंग टर्मस, पजेशन व एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है।

सायल न0 2 का खास भाई रामकिशोर पुत्र परत्या आज से करीब 8 वर्ष पूर्व लापता हो गया है। जिसका आज दिन तक कोई पता नही चला है लापता रामकिशोर का एक मात्र उत्तराधिकारी उसका भाई सायल न0 2 हरिराम है। तथा हरिराम ही उसकी चल अचल सम्पत्ति पर काबिज है।

बाका दिनांक 15.7.18 का है कि सायलान अपनी रिहायश जो विवादित भूमि मे बनी हुई है, उस पर बैठे हुये थे कि गैरसायलान न0 1 ता 14 हाथो मे लाठी डन्डा लेकर आये और सायल से कहा कि हमने इस जमीन पर मुकदमा कर दिया है और लट्ठ के बल पर तुम्हारे हिस्से की आराजी को छीनेगे। और तुम्हे इस आराजी से बेदखल करेगे। सायलान ने गैरसायलानो को काफी समझाया कि भाईयो हम भी तुम्हारे भाई है और तुम हमारे हिस्से की जमीन को क्यो छीनना चाहते है परन्तु गैरसायलान ने सायलानो की एक नही सुनी और सायलान को लट्ठ के बल पर बेदखल करने व विवादित भूमि को रहन व्यय करने की ऐलानिया धमकी दी है। इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

सायलान का प्राईमाफेसी केश साबित है तथा सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति नही है। जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी। जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नही है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को ता फैसला दावा इस उम्र से पावन्द फरमाया जावे कि वे ग्राम मातासूला स्थित आराजीयात ख0न0 1184/0.23, 1185/0.01, 1186/0.21, 1187/0.19, 1188/0.20, कुल किता 5 कुल रकवा 0.84 है0 मे सायल न0 1 को हिस्सा 1/3 व सायल न0 2 को 1/3 हिस्से से बेदखल नही करे, तथा उक्त भूमि को रहन व्यय नही करे, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा ऐसा कोई कार्य ना तो स्वंय करे नाही किसी अन्य से करवो जिससे हकूक सायलान विपरीत प्रभाव नही पडे।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस पाबन्द किया गया। गैरसायल 15, 16 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। शेष गैरसायल न0 1 ता 14 की और से जरिये वकील जबाब पेश किया कि प्रार्थना पत्र का मद न0 3 आंशिक रूप से स्वीकार है शेष अस्वीकार है, रामकिशोर का

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

लापता होना स्वीकार नही है इस बात का पत्रावली पर कोई प्रमाण नही है, प्रार्थना पत्र पर जो सजरा बनाया है वह गलत है। व बालकिशन के औलाद नही है का कोई प्रमाण पेश नही किया है। वर्णित आराजीयात गैरसायल न0 1 ता 14 के कब्जे काश्त की है जिसे गैरसायलान 70–80 वर्ष से काश्त करते आ रहे है। सायलान का उक्त आराजी से कोई लेना देना नही है। सायलान उक्त आराजी पर जबरदस्ती लट्ठ के बल पर कब्जा कर निर्माण कर रहे है। इस बावत गैरसायलान ने सायलान से मना किया तो सायलान झगडे पर आमदा रहते है। दिनांक 12.6.17 को सायलान ने गैरसायलान के पिता लल्लू की हत्या कर दी, जो न्यायालय ए.डी.जे. हिण्डौन मे मु0न0 198/17 धारा 302 आई.पी.सी. के तहत विचाराधीन है। सायलान 2018–2019 की खसरा गिरदावरी अपने नाम काश्त करना बताते है। लेकिन खसरा गिरदावरी पत्र कोई खातेदारी अधिकार नही देती है। सायलान अपने नाम गैरसायलान के पिता द्वारा इकरारनामा लिखना बताते है। वो सरासर फर्जी है। जिसका कोई औचित्य नही है क्योकि उक्त आराजी पुश्तैनी है जिसे विक्रय करने का अन्य कोई हक निहित करने का गैरसायल न0 1 ता 14 के पिता लल्लू को नही है। दिनांक 15.7.18 को काई घटना घटित नही हुई। गैरसायलान की खातेदारी आराजी है। जिसमे गैरसायल के पिता लल्लू ने पूर्व मे बी.ओ.बी. शाखा करीरी से ऋण लिया था। यदि गैरसायलान का कब्जा ही नही होता तो बैक ऋण ही नही देता , अन्य तथ्य सरासर गलत है। गनगढंत है। उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया है क्योकि उक्त आराजीयात पर सायलान का कब्जा नही है यदि सायलान को अपने कब्जे काश्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो अपूर्तनीय क्षति सायलान का प्रार्थना पत्र किसी प्रकार से साबित नही है नाही सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे है जबाब प्रार्थना पत्र के विशेष विवरण मे अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात गैरसायलान की है और अपने पूर्वजो के समय से ही काश्त करते चले आ रहे है। सायलान का उक्त आराजी से कोई किसी प्रकार से संबध नही है सायलान जबरदस्ती लट्ठ के बल पर कब्जा कर निर्माण करने पर आमदा है इस बावत गैरसायलान ने एक प्रार्थना पत्र उनवान मांगीलाल बनाम बालकिशन पेश किया जा चुका है। इस बिना पर सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

तारीख रजू:– 20.06.2018

मु0न0 31/18

सायल द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पेश किया है कि जमाबन्दी सम्वत 2072–75 ग्राम मातासूला की आराजी ख0न0 1184/0.23, 1185/0.01, 1186/0.21, 1187/0.19, 1188/0.20, कुल किता 5 कुल रकवा 0.84 है0 मे सायलान के पिता लल्लूराम पुत्र चन्दया के नाम खातेदारी हाल रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज है। गैरसायलान ने दिनांक 12.06.2017 को सायलान के पिता की हत्या कर दी, लल्लू के तर्के पर काबिज वारिसान को सायल बनाया है। इस आराजीयात से अन्य किसी का कोई लेना देना नही है। गैरसायल न0 1 ता 11 जो कि लठैत एवं मुठमर्द व्यक्ति है। जबरदस्ती हमारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण करना चाहते है। सायलान के समझाने के उपरान्त भी गैरसायलान मानने को तैयार नही है, और कहते है कि जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रिहायश बनायेगे। यह भी कहा कि पिता को तो हमने मार डाला है तुम्हारी खैरियत चाहते हो तो यहॉ से चले जाओ। यदि गैरसायलान अपनी इस कुचेष्ठा मे कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी। इसलिये दावा एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान तादावा फैसला इस प्रकार पाबन्द किया जावे कि आराजी ख0न0 1184/0.23, 1185/0.01, 1186/0.21, 1187/0.19, 1188/0.20, कुल किता 5 कुल रकवा 0.84 है0 ग्राम मातासूला मे गैरसायलान कब्जा कर निर्माण कार्य नही करे, नाही बेदखल करे। सायलान का उक्त आराजी शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गेरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान न0 1 ता 4 एवं 7 से 11 जरिये वकील उपस्थित हुये। गैरसायल न0 5, 6 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायलान 1 ता 4 व 7 ता 11 की और से जबाब पेश किया कि गैरसायलान ने सायलान के पिता की दिनांक 12.6.17 को हत्या नही की है, हत्या से कोई सरोकार भी नही है। सायलान की यह बात बिल्कुल गलत है कि गैरसायलान जबरदस्ती कब्जा कर निर्माण करना चाहते है। बल्कि सही बात यह है कि उक्त विवादित आराजी के हिस्सा 1/3 पर बालकिशन पुत्र मूल्या व हिस्सा 1/3 हिस्से पर हरीराम पुत्र परत्या काबिज है। गैरसायलान की विगत सैकडो वर्षो से रिहायश हो रही है। प्राईमाफेशी केश साबित नही है सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जावे। अतिरिक्त जबाब मे अंकित किया कि सायलान व गैरसायलान एक ही बुजुर्ग लोहडा की संतान है हरदेव, मूल्या व चंदा ने अपने पिता लोहडया के जीवनकाल मे ही हिस्सा 1/3–1/3 बराबर बाट लिया था। हरदेव, मूल्या व चंदा खास भाई थे। उसी समय अपने– अपने हिस्से पर काबिज हो गये तथा हरदेव, मूल्या जो गैरसायलान के बुजुर्ग थे उन्होने अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा लेकर रिहायश कर ली थी। उसके बाद हरदेव व मूल्या के जो वारिसान है आज तक रिहायश पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। जिसकी पुष्टि खसरा गिरदावरी सम्वत 2018–19 से होती है वर्णित आराजीयात के संबध मे सायलान के बुजुर्ग लल्लू ने जो खातेदार था, उसने दिनांक 27.1.2015 को 100/– के स्टाम्प पर इकरारनामा इस आशय का गैरसायल न0 1 बालकिशन के हक मे लिख दिया कि मेरे नाम मातासूला मे 3 बीधा जमीन हे। जो मुझे मेरे पिता चन्दया से मिली है। उक्त आराजी के 1/3 हिस्से पर गैरसायल न0 1 काबिज एवं दखील है उक्त 1/3 हिस्से की आराजी से मेरा कोई संबध नही रहेगा। उक्त आराजी हमेशा गैरसायल न0 1 की रहेगी। इकरारनामा के मद न0 4 मे अंकित किया है कि मुझ प्रथम पक्ष द्वारा आराजी पर ऋण ले रखा है जब भी भूमि ऋण मुक्त होगी तब रजिस्ट्री करवा दूंगा। इस इकरारामे पर पूर्व खातेदार लल्लू के हस्ताक्षर है जिसकी पहचान श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने की है। जिसे श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा इकरारनामा को प्रमाणित किया है। इस प्रकार गैरसायलान अपने हिस्से की आराजी पर विगत कई वर्षो से काबिज होकर रिहायश व काश्त कर रहे है। जो आज तक बदस्तूर है इस प्रकार गैरसायलान को उक्त आराजी के संबध मे लोंग टर्मस, पजेशन व एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

दोनो प्रकरणो मे वकील उभयपक्ष की एक साथ बहस सुनी गई। श्री विजय भारती एडवोकेट ने बहस प्रारम्भ करते हुये कथन किया कि ग्राम मातासूला की आराजीयात मे सायलान रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। गैरसायलान ने सायलान के पिता लल्लू की हत्या कर दी, और अब भय दिखाकर सायलान की खातेदारी की आराजी पर कब्जा कर निर्माण करना चाहते है। जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। अतः सायल की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार करते हुये गैरसायलान को दावा के फैसला होने तक पाबन्द फरमया जावे तथा गैरसायलान की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

श्री हसंराम गूर्जर एडवोकेट ने बहस प्रारम्भ करते हुये कथन किया कि घारा 19 के तहत मुझे जमीन मिली है गैरसायलान के नाम और भी जमीन है जो ग्राम चूरपुरा के खाता सख्या 76 मे लल्लू के वारिसान के नाम दर्ज है। पैतृक सम्पत्ति को हमने बदलपत्र किया है मेरा दावा 84 ऐयर जमीन मे हिस्सा 1/3–1/3 का है। इकरारनामा मे स्वंय लल्लू ने 1/3 हिस्से पर बालकिशन का कब्जा माना है। मेने जो सजरा पेश किया है उसे गैरसायलान ने अस्वीकार नही किया है। मेरा पजेशन गिरदावरी से साबित हो रहा है। एडवर्स पजेशन के

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

आधार पर ही घोषणा खातेदारी का दावा पेश किया है। ख0न0 1184 मे मेरी आबादी बनी है। नक्शे मे भी आबादी के निशान है। लल्लू ने बालकिशन के हक मे इकरारनामा लिखकर कब्जा कराया है। जो कि बालकिशन के ताउ का पुत्र था, इकरारनामे मे स्पष्ट लिखावट है कि ऋण होने से रजिस्ट्री नही करवाई, ऋण चुकता होने पर रजिस्ट्री करवादूगा। लल्लू के स्वंय के हस्ताक्षर है। सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने पहचान की है नोटेरी पब्लिक द्वारा तस्दीक किया गया है। इकरारनामा दावे का आधार नही है, सहायक दस्तावेज है। मेरा दावा पैतृक सम्पत्ति व एडवर्स पजेशन के आधार पर है। मेरी स्वंय की अर्जित आराजी के दस्तावेज पेश किये है। मेरा कब्जाकाश्त है। पैतृक सम्पत्ति है। प्रथम दृष्टया प्रकरण मेरे पक्ष मे है। अतः मेरा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर दावा के निस्तारण होने तक रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु गैरसायलान को पाबन्द फरमाया जावे तथा गैरसायलान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावलियो मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिये तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

प्रथम दृष्टया प्रकरणः– ग्राम मातासूला की नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 338 की आराजीयात ख0न0 1184/0.23, 1185/0.01, 1186/0.21, 1187/0.19, 1188/0.20, कुल किता 5 कुल रकवा 0.84 है0 की खातेदारी मांगीलाल, रामअवतार, कैलाश चन्द पि0 लल्लू हि.ब. 3/10, मुलायमसिह, रिंकू पि0 हरपाल, कमलेश, पिंकी पुत्रीया हरपाल, राजन्ती पत्नि हरपाल हि.ब. 1/10, शांति, कैलाशी, सुखबाई, सीमा, दुलारी पुत्रीया लल्लू, मूली पत्नि लल्लू, हिस्सा 3/5 के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिससे गैरसायलान बालकिशन वगै0 का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। गैरसायलान बालकिशन वगै0 ने दावा एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा, इकरारनामा एवं एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रस्तुत किये है। परन्तु कब्जे के संबध मे कोई भी साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है। इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवान मांगीलाल वगै0 बनाम बालकिशन वगै0 मु0न0 31/2018 सायल रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया सायलान के पक्ष मे साबित है। एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी बालकिशन वगै0 बनाम मांगीलाल बगै0 मु0न0 43/2018 मे सायलान काश्तकार नही होने एवं कब्जा काश्त का कोई भी दस्तावेज पेश नही करने के कारण सायलान बालकिशन वगै0 के पक्ष मे साबित नही है।

सुविधा का संतुलनः– प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवान मांगीलाल वगै0 बनाम बालकिशन वगै0 मु0न0 31/2018 सायल रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे साबित है। एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी बालकिशन वगै0 बनाम मांगीलाल बगै0 मु0न0 43/2018 मे सायलान काश्तकार नही होने एवं कब्जा काश्त का कोई भी दस्तावेज पेश नही करने के कारण सायलान बालकिशन वगै0 के पक्ष मे सुविधा का संतुलन साबित नही है।

अपूर्तनीय क्षतिः– सायलान जो कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, उनवान मांगीलाल वगै0 बनाम बालकिशन वगै0 मु0न0 31/2018 सायल रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है यदि गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जाता है तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। एवं गैर सायलान को किसी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति नही होगी।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी बालकिशन वगै0 बनाम मांगीलाल बगै0 मु0न0 43/2018 मे सायलान काश्तकार नही होने एवं कब्जा काश्त का कोई भी दस्तावेज पेश नही करने के कारण सायलान को कोई अपूर्तनीय क्षति नही है।

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मु0उनवानी मांगीलाल बनाम बालकिशन वगै0 मु0न0 31/18 स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायलान को मूल दावे के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि सायलान के कब्जेकाश्त की आराजीयात ख0न0 1184/0.23, 1185/0.01, 1186/0.21, 1187/0.19, 1188/0.20, कुल किता 5 कुल रकबा 0.84 है0 के कब्जेकाश्त मे किसी भी प्रकार मजाहमत मदाखलत नही करे नाही किसी अन्य से करावे। नाही किसी प्रकार का निर्माण करे।

मुकदमा उनवानी बालकिशन बनाम मांगीलाल वगै0 मु0न0 43/2018 प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति दोनो प्रकरणो मे शामिल की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.03.04 15:27:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: